न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 99/2020

सांवत पुत्र चन्द्रा जाति मेघवाल निवासी लोटियां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र गोकलराम जाति अहीर निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. धर्मपाल पुत्र गोकलराम जाति अहीर निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र गोकलराम जाति अहीर निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. राजपाल पुत्र गोकलराम जाति अहीर निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. सुभाषचन्द्र पुत्र गोकलराम जाति अहीर निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. मुन्नी देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति अहीर निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीये ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनयम

—:: निर्णय ::—

दिनांक —02.12.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

यह कि आवेदक की कृषि भूमि हाल खसरा न0 521/294 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम लोटिया में बने मकानात में आने जाने बाबत वाहन, उंट गाड़ा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत खसरा न0 293 रकबा 1.76 है0 के पूर्व दिशा सीमा के सहारे सहारे व भूमि खसरा न0 295 रकबा 3.20 है भूमि के पश्चिम दिशा के सहारे—सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा न0 521/294 में जाने के लिये नजरी नक्शा अनुसार रास्ता घोषित किया जावे व तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की और से श्री अजय कुमार एड0 ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 6 की और से श्री कृष्ण कुमार शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका रिपोर्ट मगवायी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 6 की और आपत्ति पेश कि गई जिसके उपरान्त तहसीलदार को पुनः तहरीर जारी की गई तथा प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत लोटिया में हल्का पटवारी एवं भू0 अ0 निरीक्षक को मौके पर भेजकर पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करवायी गई। अप्रार्थी संख्या 6 ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 05 की और से कैम्प में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 09 उपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074—77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट।

बहस सुनी गई

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/कैम्प/67 दिनांक 17.11.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया की ख0न0 521/294 में पूर्व में कोई कटानी रास्ता नहीं है एवं नही कोई प्रचलित रास्ता मौके पर मौजूद है तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के ख0न0 293 की उतरी पूर्वी सीमा पर खातेदार मुन्नी देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति अहीर के द्वारा मौके पर 5.70X4.25 वर्गमीटर=24.25 वर्गमीटर पर पक्का निर्माण कार्य हुआ है तथा ख0न0 295 रकबा 3.20 है0 जिसकी खातेदारी सुभाषचन्द्र, महेन्द्रसिंह, अमरसिंह, धर्मपाल, राजपाल पुत्र गोकलराम जाति अहीर के द्वारा उतरी पश्चिमी सीमा पर 6X4. 40 =26.40 वर्गमीटर में पक्का निर्माण बताया है। आवेदक की कृषी भूमि ख0न0 521/294 में वाके ग्राम लोटिया स्थित में न तो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता है और ना ही आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की रिपोर्ट आयी है। भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 से प्रतित होता है की ख0 न0 293 की पूर्वी उतरी सीमा में सूरजगढ़ से लोटिया जाने वाली सड़क स्थित है । सूरजगढ़ से लोटॅया जाने वाली सड़क से पक्के मकान के सहारे—सहारे 20x4=वर्गमीटर तथा उतर से दक्षिण दिशा में ख0न0 293 एवं ख0 न0 295 की सीमा पर (म्याल को मध्य में रखते हुए दोनों तरफ बराबर) 80x4=320 वर्गमीटर कुल रास्ते की भूमि 400 वर्गमीटर, सीमा पर स्थिति बिजली के ट्रासंफामर के पास ख0 न0 293 में से नया

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0न0 293 में उत्तर से दक्षिण पूर्वी सीमा के सहारे सहारे अंकित रास्ता 20x4 + 80x4=100x4 वर्गमीटर (400 वर्गमीटर) भूमि खसरा न0 521/294 तक नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

भूमि खेत ख0न0 521/294 रकबा 1.00 हैक्टर स्थित ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिए ख0न0 293 में सूरजगढ़ से लोटिया जाने वाली सड़क से पक्के मकान के सहारे—सहारे 20x4=वर्गमीटर तथा उतर से दक्षिण दिशा में ख0न0 293 एवं ख0 न0 295 की सीमा पर (म्याल को मध्य में रखते हुए दोनों तरफ बराबर) 80x4=320 वर्गमीटर कुल रास्ते की भूमि 400 वर्गमीटर, सीमा पर स्थिति बिजली के ट्रासंफामर के पास ख0 न0 293 में से नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है की वह रास्ते में जाने वाली भूमि की निर्धारित डीएलसी दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर सम्बन्धित खातेदार को दी जावें। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद कर सात दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करें।

(दिपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़